उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-2
संख्या-71/2025/429/41-2-2025-CN-1897987
लखनऊ दिनांक 25 फरवरी, 2025
संख्या-45/2025/326/41-2-2025-सी0एन0-1897987, दिनांक 13-02-2025

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-9872/6-1-1(452)/2023-24, दिनांक 17 फरवरी, 2025 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा मंदिर के पर्यटन विकास कार्य हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत सम्बन्धी शासनादेश संख्या-45/2025/326/41-2-2025-सी0एन0-1897987, दिनांक 13-02-2025 के प्रस्तर-2 में कार्यदायी संस्था का नाम कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम के स्थान पर त्रुटिवश कन्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम अंकित हो गया है एवं प्रस्तर-4 में लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-41-जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा के स्थान पर त्रुटिवश लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-41-जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा अंकित हो गया है।

2. अत: शासनादेश संख्या-45/2025/326/41-2-2025-सी0एन0-1897987, दिनांक 13-02-2025 के प्रस्तर-2 में अंकित कार्यदायी संस्था कन्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम के स्थान पर कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम अंकित किया जाता है तथा प्रस्तर-4 में अंकित लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-41-जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा के स्थान पर लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-41-जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा अंकित किया जाता है।

3. तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 13-02-2025 को संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, हापुड़।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- उप निदेशक पर्यटन, मेरठ/सहारनपुर मण्डल, मेरठ।
8- उप निदेशक (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।